संगठन से या किसी राजनैतिक पार्टी के साथ आप कम्पेयर नहीं कर सकते। ऐसे लूज़ कमेंट्स मत करिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please continue with the answer.

श्री एम. वेंकैया नायडु: हरिवंश जी मेरा कहना यह है ...(व्यवधान)... hon. Member is also in the Consultative Committee and he has also given certain suggestions with regard to the changes that have been proposed by DAVP. One is the circulation verification by ABC and RNI. Secondly, subscription to wire services like UNI, PTI, etc. The third is the payment of annual subscription to the Press Council of India and the fourth is printing in its own press. The fifth one is provisions for weightage on the basis of number of pages. All the news agencies, which are accredited by PIB, are allowed. So, there is no scope for any sort of misunderstanding in this. Last time, they made a point that some newspapers may be printed through rented printing press also. That also, the Government will be willing to consider provided it is authenticated.

दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक

***2. श्रीमती छाया वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और ऐसे पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन पदों को भरने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ख) विश्वविद्यालय में कई वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नए मानकों पर दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद् का क्या दृष्टिकोण है और यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों को लागू किया जाता है तो क्या तदर्थ शिक्षकों की स्थायी नौकरी चली जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, यूजीसी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 17,006 शिक्षकों के पदों में से दिनांक 01.10.2016 की स्थिति के अनुसार, 6,080 पद खाली पड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय स्तर पर रिक्तियों के अलावा, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यूजीसी वित्त पोषित कॉलेजों में 3315 शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं। यूजीसी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार रिक्तियां दर्शाने वाला ब्यौरा, उपाबंध में दिया गया है (नीचे देखिए)।

दिल्ली विश्वविद्यालय सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसद के अधिनियमों के तहत सृजित स्वायत्तशासी निकाय हैं और शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियां नियमित भरी जाएं, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः

- यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय संबंधी विनियम जारी किए हैं। विनियमों के पैरा 12.2 में यह अधिदेशित है कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

- विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की कमी और इसके परिणामस्वरूप इनमें रिक्त पदों से उत्पन्न परिस्थिति को सुलझाने के लिए केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकोंके लिए अधिवार्षिता की आयु को पहले ही बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दिया गया है।

- यूजीसी विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी प्रचालनात्मक जरूरतों के आधार पर 10% की सीमा तक समय-समय पर रिक्त पदों के लिए तदर्थ/अतिथिं संकाय/पुनः नियोजन/अनुबंध संकाय भर्ती करने की अनुमति है।

- यूजीसी ने नवंबर, 2014 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों और सम-विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास करें कि विश्वविद्यालयों द्वारा सभी रिक्त पदों को भरा जाए। शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में 4-5 फरवरी, 2015 को आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन, 4-6 नवंबर, 2015 और 16-18 नवंबर, 2016 को आयोजित विजिटर सम्मेलनों में भी चर्चा की गई, जिनकी अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति ने की थी।

(ख) 19.12.2016 को आयोजित अपनी बैठक में, दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने यूजीसी द्वारा शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के संबंध में क्रमशः 4 मई, 2016 और 11 जुलाई, 2016 को राजपत्र अधिसूचनाओं में तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन पर विचार किया था और विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को इन संशोधनों को अपनाने की संस्तुति की थी। कार्यकारी परिषद ने अपनी 31.12.2016 को आयोजित अपनी बैठक में शैक्षिक परिषद की सिफारिशें स्वीकार कीं और विश्वविद्यालय के प्रासंगिक अध्यादेशों में परिणामी संशोधन करने का संकल्प पारित किया।

शिक्षकों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को स्थायी दर्जा प्राप्त नहीं है। अतः इसके संशोधनों के साथ-साथ यूजीसी विनियमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में स्थायी दर्जा खोने का प्रश्न नहीं उठता।

उपाबंध

दिनांक 01.10.2016 के अनुसार यूजीसी वित्तपोषित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	तेलंगाना	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	82
2.		हैदराबाद विश्वविद्यालय	173
3.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	64
4.	छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	213
5.	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय*	911
6.		जामिया मिलिया इस्लामिया	160
7.		जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	281
8.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंग गौर विश्वविद्यालय	103
9.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	115
10.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	28
11.	पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	128
12.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	186
13.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	321
14.		बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	562
15.		बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय	67
16.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	547
17.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	127
18.	बिहार	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	55
19.		महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	100
20.	गुजरात	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय	87
21.	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	169
22.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय	121

1	2	3	4
23.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय	79
24.		कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय	87
25.	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय	82
26.	कर्नाटक	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय	101
27.	केरल	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय	38
28.	ओडिशा	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	137
29.	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय	67
30.	राजस्थान	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय	83
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय	104
32.	असम	असम विश्वविद्यालय	79
33.		तेजपुर विश्वविद्यालय	55
34.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	33
35.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	109
36.	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	117
37.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	62
38.	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	58
39.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	78
40.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	111
	कुल		6080

* दिल्ली विश्वविद्यालय स्तर पर रिक्तियों के अलावा, इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध यूजीसी वित्त पोषित कॉलेजों में 3315 शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं।

UGC norms on ad-hoc teachers working in D.U.

†*2. SHRIMATI CHHAYA VERMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of vacancies in various universities of the country and the steps taken to make regular appointments against these posts and the reasons for delay in filling up those posts; and

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) what is the stand of Academic Council of Delhi University on the new norms laid down by University Grants Commission (UGC) with regard to ad-hoc teachers working in the University for many years and whether the ad-hoc teachers would lose their permanent position, if UGC norms are implemented?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the information provided by the University Grants Commission (UGC), out of the total teaching posts of 17,006 in various UGC funded Central Universities, 6,080 teaching posts are lying vacant as on 01.10.2016. In addition to the vacancies at Delhi University level, at present, 3315 teaching positions are lying vacant in UGC funded colleges affiliated to Delhi University. Details indicating State wise and University wise vacancies in various UGC funded Central Universities are given in Annexure (See below).

Central Universities including University of Delhi are Autonomous Bodies created under the Acts of Parliament and the onus of filling up of vacant teaching posts lies with them. However, to ensure regular filling up of vacant posts in the Central Universities, the following steps have been taken:

- The UGC has issued Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010. Para 12.2 of the Regulations mandates that all the sanctioned / approved posts in the University system shall be filled up on an urgent basis.

- In order to meet the situation arising out of shortage of teachers in Universities and other teaching institutions and the consequent vacant positions therein, the age of superannuation for teachers in Central Educational Institutions has already been enhanced to sixty five years.

- The Central Universities are permitted to recruit Ad-hoc/Guest Faculty/ Re-employed/Contract Faculty against vacant positions, from time to time, depending upon their operational requirements to the extent of 10% as per UGC regulations.

- UGC has requested all Vice Chancellors of Central Universities, State Universities and Deemed to be Universities in November, 2014 to make a serious effort to ensure that all vacant positions are filled by the University at the earliest. Filling up of teaching positions was also discussed in the Conference of Vice-Chancellors of the Central Universities held on 4th -5th February, 2015, Visitor's Conferences on 4th -6th November, 2015 and 16th -18th November, 2016 which were chaired by the Hon'ble President.

(b) In its meeting held on 19.12.2016, the Academic Council of the Delhi University considered the 3rd and 4th amendments of Gazette notifications issued by UGC on 4th May, 2016 and 11th July, 2016, respectively, regarding appointment and promotion of the teachers and other academic staff and recommended adoption of these amendments to the Executive Council of the University. The Executive Council, in its meeting held on 31.12.2016, accepted the recommendation of the Academic Council and resolved to carry out consequential amendments in the relevant Ordinances of the University.

As per the extant recruitment rules of the Delhi University for the teaching positions, the Ad-hoc teachers working in the Delhi University are not enjoying permanent status. Therefore, the question of their losing permanent position, in the process of the implementation of the UGC regulations along with its amendments, does not arise.

Annexure

Details indicating vacant positions in UGC funded Central Universities as on 01.10.2016

Sl. No.	Name of the State/UT	Name of University	Total Number of Vacant Posts
1	2	3	4
1.	Telagana	Maulana Azad National Urdu University	82
2.		University of Hyderabad	173
3.		The English & Foreign Languages University	64
4.	Chhattisgarh	Guru Ghasidas Vishwavidyalaya	213
5.	Delhi	University of Delhi*	911
6.		Jamia Millia Islamia	160

1	2	3	4
7.		Jawaharlal Nehru University	281
8.	Madhya Pradesh	Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya	103
9.		Indira Gandhi National Tribal University	115
10.	Maharashtra	Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya	28
11.	Puducherry	Pondicherry University	128
12.	Uttarakhand	Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University	186
13.	Uttar Pradesh	Aligarh Muslim University	321
14.		Banaras Hindu University	562
15.		Babasaheb Bhimrao Ambedkar University	67
16.		University of Allahabad	547
17.	West Bengal	Visva Bharati	127
18.	Bihar	Central University of South Bihar	55
19.		Mahatma Gandhi Central University	100
20.	Gujarat	Central University of Gujarat	87
21.	Haryana	Central University of Haryana	169
22.	Himachal Pradesh	Central University of Himachal Pradesh	121
23.	Jammu and Kashmir	Central University of Jammu	79
24.		Central University of Kashmir	87
25.	Jharkhand	Central University of Jharkhand	82
26.	Karnataka	Central University of Karnataka	101
27.	Kerala	Central University of Kerala	38
28.	Odisha	Central University of Orissa	137
29.	Punjab	Central University of Punjab	67
30.	Rajasthan	Central University of Rajasthan	83
31.	Tamil Nadu	Central University of Tamil Nadu	104

1	2	3	4
32.	Assam	Assam University	79
33.		Tezpur University	55
34.	Arunachal Pradesh	Rajiv Gandhi University	33
35.	Manipur	Manipur University	109
36.	Meghalaya	North Eastern Hill University	117
37.	Mizoram	Mizoram University	62
38.	Nagaland	Nagaland University	58
39.	Sikkim	Sikkim University	78
40.	Tripura	Tripura University	111
	TOTAL		6080

* In addition to the vacancies at Delhi University level, at present, 3315 teaching positions are lying vacant in UGC funded colleges affiliated to Delhi University.

श्रीमती छाया वर्माः महोदय, प्रश्न के उत्तर में एड हॉक शिक्षकों की जो नियुक्तियां बताई गई हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से अनुदान प्राप्त शिक्षकों का जो मामला है, उसमें भी बहुत भेदभाव हो रहा है। एक तरफ बड़ी संख्या में बेरोजगारी है और दूसरी तरफ उनके बहुत अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षा में गुणवत्ता उनके रिक्त पदों के कारण नहीं आ सकती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधन संख्या 4 में तदर्थ शिक्षकों के लिए जिन शर्तों को रखा गया है, वे न्यायोचित नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं, उन्हें क्या आपका मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, उनको समय पर दूर करने के लिए, आवश्यक कदम उठाएगा जिससे कि यू.जी.सी. के संशोधन संख्या 4 जैसी परिस्थितियां उत्पन्न ही न हों, और तदर्थ शिक्षकों का अहित न हो, क्या मंत्रालय इसे सुनिश्ति करेगा?

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न मुख्यतः विश्वविद्यालयों के बारे में है और कॉलेजों में शिक्षकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए, यह हमारी नीति है। वहां तदर्थ नियुक्तियां केवल 10 फीसदी तक मान्य होती हैं। दुर्भाग्य से, अनेक विश्वविद्यालयों में और कुछ राज्यों में खासकर, मैंने अनैक्स में आपको सारी सूचना दी है कि किस-किस राज्य में कितनी नियुक्तियां हैं। कुछ जगह बहुत ज्यादा हो गई हैं, खासकर दिल्ली में। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के मसले में हमने तय किया, जहां कुल 9000 की स्ट्रैंथ कि अगेन्स्ट लगभग 4000 से ज्यादा तदर्थ नियुक्तियां हैं और सालों से चल रही हैं, वह गलत है। इसलिए वर्ष-भर के लिए 2017 में, रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि ऐसी नियुक्तियां स्थाई रूप से होनी चाहिए - यह हमने फैसला किया। चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां वहां की एकेडेमिक काउंसिल करती है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां की एकैडेमिक काउंसिल में भी, एक प्रोग्राम बनाकर यह मान्य किया और अब हर महीने उनका

एक फॉलो-अप होता है। देखते हैं कि इस वर्ष वहां तदर्थ नियुक्तियां कहां तक कम होती हैं। इससे वहां नियुक्तियां भी जल्दी होंगी। इसमें यूजीसी की जो गाइडलाइंस हैं, वे सभी विश्वविद्यालयों ने मान्य की हैं। इस प्रकार निरंतर इसमें सुधार की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन जो academic qualification और अन्य नियम रखे हैं, वे जायज़ हैं। सभी विश्वविद्यालय उन्हीं के अनुसार नियुक्तियां करते हैं।

श्रीमती छाया वर्माः मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि तदर्थ शिक्षकों की जिस समय नियुक्तियां हुईं, उस समय एससी/एसटी और ओबीसी के भर्ती नियम का परिपालन नहीं किया गया और उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया गया। इस पर मंत्रालय के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा?

श्री प्रकाश जावडेकरः अभी 2017 में सभी राज्यों एवं विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि जहां भी 10 फीसदी से ज्यादा रिक्तियां हैं अथवा जहां तदर्थ नियुक्तियां हैं, उनको खत्म करके स्थायी नियुक्तियां की जाएं, साथ ही एससी/एसटी और ओबीसी की जितनी रिक्तियां हैं, उन सबको संवैधानिक प्रावधान के अनुसार पूर्ण किया जाए। अतः मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा। सबको उनके गुणों के आधार पर अवसर दिया जाएगा। इसके लिए चयन की पूरी प्रक्रिया होती है, इंटरव्यू होता है, उसी के आधार पर इनका भी चयन किया जाएगा।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, as it appears from the reply given by the hon. Minister, regulations were issued by the UGC in 2010, and para 12.2 of the regulations mandated the sanctioned posts to be filled on an urgent basis. Seven years have elapsed and one-third of the total strength is still lying vacant, including 127 teaching vacancies in Visva-Bharati, of which the hon. Prime Minister is the Chancellor. So, my question to the hon. Minister is: how soon will the vacancies be filled?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, it is a very important issue which the hon. Member has raised. For six-seven years, unfortunately, many universities did not follow the instructions. Many universities did follow the instructions and filled the vacancies. But now, we have pointed out to the universities, where there are large-scale temporary postings and ad hoc postings and asked them specifically and we have made a year-long plan of recruitment. There was one case in court also. In the year 2017, I can say that majority of the vacancies will be filled and we will ensure that there are no more ad hoc postings than what is permissible.

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः श्रीमान्, यह तो जगजाहिर है कि UGS-supported educational institutions में vacancies हैं और ये लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। ये vacancies आज से नहीं, काफी लम्बे समय से चलती आ रही हैं। क्या UGC अथवा सरकार ने इस चीज़ के ऊपर भी सोच-विचार किया है कि ये vacancies क्यों हैं? अगर हम लोग इसके पीछे यह रीज़न देते हैं कि लोग remote places में काम नहीं करना चाहते या शिक्षक ऐसे क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते, तो दिल्ली जैसी जगह पर इतनी अधिक vacancies क्यों हैं? यह बहुत अधिक alarming situation है। क्या आपने कभी इसका root cause जानने की कोशिश की है? इस समस्या के समाधान के लिए आपने क्या योजना बनाई है?

श्री प्रकाश जावडेकरः दिल्ली जैस शहर में, जहां लोग आना चाहते हैं और स्थायी नियुक्तियां पाना चाहते हैं, वहां इस तरह, इतने बड़े पैमाने पर रिक्तियां रहना ही गलत था। यह मसला दो-तीन बार न्यायालय में भी गया, लेकिन न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ये रिक्तियां इसी तरह बनी रहीं। इस बार हमने न्यायालय को भी आश्वासन दिया है और आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने विश्वविद्यालयों को यह साफ तौर पर कह दिया है कि आप शीघ्र ही गुणवत्ता के आधार पर नियुक्तियां करें, लेकिन यह प्रक्रिया 2017 में पूरी हो जाए, अन्यथा उनको इसी प्रकार ग्रांट मिलती रहे, ऐसा भविष्य में नहीं चलेगा। यह आदेश निश्चित रूप से बंधनकारी है और इस संबंध में हम लोग हर महीने उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, considering that we speak about educated unemployment, it is indeed surprising that thousands and thousands of vacancies should be lying in the educational institutions run directly by the Government of India. Having been the Chancellor of, at least, two Central Universities - Jawaharlal Nehru University and Banaras Hindu University - I can say that this is an endemic problem. This is not something which is new. This problem has been going on for many years, and it is surprising that we have vacancies in the Judiciary, we have vacancies in the Armed Forces, and we have vacancies in the Universities. What is the problem? On the one hand, we say that we have a lot of educated young people who are not getting jobs.

So, first of all, I appreciate the Minister's assurance that this situation will not continue, but I would also like to point out that the vacancies in a university mean that the students suffer. They are the ones who suffer. It is not the teachers but the students also suffer. How can you expect your Central Universities to become world-class? We say that our universities are not of the world-class standard. How can you have world-class universities when thousands of posts are lying vacant?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Karan Singh ji has asked a very relevant and important question. Let me tell you, Sir, that there are many reasons as to why vacancies happen and why they remain unfilled. First of all, adhoc postings are legitimate to an extent where there are temporary vacancies arising out of someone's going on leave or someone's going for study, or, there are certain emergencies also where these posts are filled on *adhoc* basis. But that should not go beyond 10 per cent.

The real issue is of good teachers. Whenever I go to the universities and colleges and have a dialogue with the students, the first question I ask them is, "Who wants to become teacher". Sir, unless good students become teachers, the problem will not be solved. So, we have to inculcate teachership also in the students.

At the same time, good news is that many IITs are contacting our NRI students who are studying abroad and have done good research. They want to come back to this 'growing India' story. That is why, they are returning. From this year, the IIT Council is also contemplating to conduct interviews in foreign countries also to bring the best of the best talent of this country. Sir, now, we are monitoring closely every month the vacancies in premier institutes. Speed is already generated, and, I can assure you, Sir, that this question will not be repeated in years to come.

Water leakage/seepage in Sector-4, Raza Bazar

*3. DR. ANIL KUMAR SAHANI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether top floor of quarters get water leakage/seepage, dampness during monsoon season in 22 Block of DIZ Area, Sector-4, Raja Bazar, Gole Market, if so, the details thereof;

(b) whether despite several complaints, no action has been taken or inspection done by concerned authorities;

(c) if so, the details of complaints received and the reasons for delay in attending to them; and

(d) the steps taken/being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (RAO INDERJIT SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes Sir. There were complaints of water seepage/leakage in respect of one of the four top floor quarters viz Quarter No. 22 P, in Block No. 22 of DIZ Area, Sector-4. Raja Bazar, Gole Market during the last monsoon season (July-August, 2016). The seepage occurred on account of accumulation of dry fallen leaves from an adjacent Peepal tree shadowing the quarter, blocking the drainage on the roof.

(b) to (d) Complaints in this regard were attended to promptly by the Central Public Works Department (CPWD). Details of the complaints lodged along with the date of attending to the complaints are given in the Annexure (See below). Pruning of branches of the Peepal tree which was resulting in dry fallen leaves blocking the drainage of the said Quarter No. 22 P, has been carried out.